



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री सी.एल.शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	122/2021
प्रकरण दर्ज होने की तिनांक	02.07.2021
प्रकरण में निर्णय की तिनांक	26.07.2021

उनयान

1	रामेश्वरलाल पि.उदयराम ब्राह्मण नि.करजालिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
---	---

— प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

1	चम्पालाल पि.उदयराम ब्राह्मण नि.करजालिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	दयाराम पि.छोगालाल बलाई नि.करजालिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3	चुन्नीलाल पि.छोगालाल तेली नि.कोरनास पटवार हल्का करजालिया तहसील आसीन्द
4	सुवालाल पि.छोगालाल तेली नि.कोरनास पटवार हल्का करजालिया तहसील आसीन्द
5	माधूलाल पि.छोगालाल तेली नि.कोरनास पटवार हल्का करजालिया तहसील आसीन्द
6	मदनलाल पि.रामलाल तेली नि.कोरनास पटवार हल्का करजालिया तहसील आसीन्द
7	गोपाललाल पि.पेमा तेली नि.कोरनास पटवार हल्का करजालिया तहसील आसीन्द
8	मोहनलाल पि.मांगू बलाई नि.बालापुरा पटवार हल्का करजालिया तहसील आसीन्द
9	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— अप्रार्थी / अप्रार्थीगण

उपस्थित वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण	श्री दूधाराम कुमावत
उपस्थित वकील अप्रार्थी / अप्रार्थीगण	श्री पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

आदेश


ार्थी/ प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 मे इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थीगण की निम्नांकित कृषि भूमि स्थित है -

क्र.सं.	नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	आ.नं.	रकबा
1	करजालिया	2075-78	472	15	1.30
			478	13	1.08
		कुल योग		किता 2	रकबा 2.38

ार्थी/ प्रार्थीगण की आराजियात के सीमा चिन्ह नही होने की वजह से विपक्षीगण के बीच आये दिन विवाद होता रहता है तथा काटने और पेड़ो की कटाई छंगायी को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी की आराजियात की पत्थरगढी करवाया आवश्यक है।

ार्थी / प्रार्थीगण ने विपक्षीगण की सहमति से सीमाज्ञान करवाने के लिये निवेदन किया तो मना कर दिया और प्रार्थी/ प्रार्थीगण की जियात की सीमा से पेड़ काटने व छंगायी करने, घास काटने हेतु विपक्षीगण अक्सर लड़ाई-झगड़ा करने पर उक्त प्रार्थी/ प्रार्थीगण जिससे द उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवायी का आदेश प्रदान करावें।


सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

- (5) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/ अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी / अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी / अप्रार्थीगण के नाम की विधिवत रूप से आवाज लगवायी किये जाते हैं।
- (6) पैरोकार सरकार ने कथन किया कि राज्य सरकार प्रकरण में औपचारिक पक्षकार है तथा राज्य सरकार का हित प्रभावित नहीं होने से प्रकरण में जवाब दिया जाना अपेक्षित नहीं है।
- (7) वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में बहस सुने जाने की इस्तदुआ करने पर वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वक्त बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थीगण की आराजियात की पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत है।
- (8) प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार / श्रवणाधिकार में स्थित है।
- (9) बहस वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया एवं पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी / प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है तथा प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः

क्रियात्मक- आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की निम्नांकित कृषि भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.सं.	नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	आ.नं.	रकबा
1	करजालिया	2075-78	472	15	1.30
			478	13	1.08
		कुल योग		किता 2	रकबा 2.38

श्री भू.अ.निरीक्षक ब्राह्मणों की सरेरी को 2200/-रु.की फीस पर कमीश्रर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण से गौके पर कमीश्रर फीस जमा की जाकर इसका अंकन पालना रिपोर्ट मे किया जावें। पत्थरगढी की कार्यवाही दिनांक से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद् पड़ौसी एवं खातेदारान को उक्त आराजियात की पत्थरगढी की जाने की लिखित सूचना जरिये पत्र समय एवं तैथि के अंकन के साथ दी जाना सुनिश्चित करें। प्रार्थीगणों की उक्त आराजियात की पत्थरगढी उभय पक्षकारान / मौतवीरान की प्रस्थिति में कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये मुशतकिल बिन्दू को आधार मानते हुये की जावें। निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार आसीन्द को भिजवायी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 26.07.2021 को खुली अदालत में सुनाया गया।



(सी.एल.शर्मा)
सहायक कलेक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाडा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

क्रमांक / रीडर / 47

दिनांक 02/08/2021

प्रतिलिपी तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णयानुसार पालना करा पालना रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


सहायक कलेक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाडा